

भाग-IV

प्रस्ताव EIO:- FR/VP/Others/25/125/2017

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

अथवा

अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

(संख्या)

C.F. Ajay Singh की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

  
हस्ताक्षर

Pankaj Misra  
Chief Conservator of Forest/Deputy Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow  
पदनाम  
सरकारी मोहर

दिनांक:- 28/3/18  
स्थान :-